राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर

प्लाट नं. 6, एवरेस्ट कॉलोनी, एपेक्स मॉल के पास, लाल कोठी, जयपुर।
Website : rajasthanparamedicalcouncil.org, Contact : 0141-2973804, 2988946

क्रमांकः रापैमेकाउ./पंजीयन/2019/2378 जयपुर, दिनांक 17-09-19

परिपत्र

विषयः राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल द्वारा पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स के पंजीयन प्रमाण पत्र के संबंध में।

राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल द्वारा राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल अधिनियम, 2008 की धारा 17 के अन्तर्गत पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स का पंजीयन किया जाता है। कौंसिल द्वारा जारी किये जाने वाले पंजीयन प्रमाणपत्र के प्रारूप में विसंगति की ओर कई पैरामेडिकल प्रोफेशनल संगठनों द्वारा कौंसिल में परिवेदना प्रस्तुत की गई है, जिस पर विचारण कर इस पंजीयन प्रमाण पत्र को राज्य में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अध्यधीन अन्य कौंसिल के समरूप बनाया गया है।

अतः राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल में पूर्व में पंजीकृत समस्त पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स को सूचित किया जाता है कि वे नवीन प्रारूप अनुसार अपने पंजीयन का नवीन प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं, जो उन्हें निःशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा। कृपया यह भी सूचित हों कि इस परिपत्र के जारी होने के साठ (60) दिवस के अवधि के भीतर आवेदन प्रस्तुत करने वाले प्रोफेशनल को नवीन प्रारूप में यह पंजीयन प्रमाण पत्र निःशुल्क जारी किया जायेगा, इसके बाद संबंधित प्रोफेशनल को नवीन प्रारूप में पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु निर्धारित शुल्क अदा करने के उपरान्त ही नवीन प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।

अतः समस्त पंजीकृत पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स उपर्युक्तानुसार नवीन प्रारूप में पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन पत्र मय मूल, पूर्व में जारी पंजीयन प्रमाण पत्र राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल में प्रस्तुत करें, ताकि उन्हें नवीन प्रारूप में पंजीयन प्रमाण पत्र जारी किये जा सकें। कृपया ध्यान देवें कि नवीन प्रारूप में पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

17/9/19
रजिस्ट्रार

क्रमांक: 2378 दिनांक:- 17-09-19

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. अध्यक्ष, राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर
2. पंजीयन शाखा/रोकड़ शाखा, कार्यालय हाजा
3. रक्षित पत्रावली

17/9/19
रजिस्ट्रार